स्वच्छता समाचार

खंड 5 | अंक 34

श्री सी. आर. पाटिल
माननीय केंद्रीय मंत्री की कलम से

माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी एवं प्रेरणादायक नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) विश्व के सबसे बड़े जनआंदोलन के रूप में स्थापित हुआ है। इस मिशन ने स्वच्छता के क्षेत्र में जन-व्यवहार को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है और देशवासियों के जीवन में स्थायी एवं सकारात्मक बदलाव भी सुनिश्चित किया है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II के इस अंतिम वर्ष में मिशन की प्रगति संबंधी मॉनीटरिंग, स्थलीय सत्यापन एवं समीक्षा को और अधिक सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है, विशेष रूप से ओडीएफ प्लस (मॉडल) के लक्ष्यों की प्राप्ति, फीकल स्लज प्रबंधन (एफएसएम), एकल गड्ढा शौचालयों में नए सुधार और तकनीकी (रेट्रोफिटिंग), परिसंपत्तियों की कार्यशीलता, निधियों के प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण उपयोग तथा लाभार्थी प्रविष्टियों की पुनरावृत्ति के निराकरण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

साथ ही, तरल अपशिष्ट प्रबंधन (LWM) के नवाचार आधारित समाधान और ग्रे-वाटर के पुनः उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और द्वितीय सत्यापन प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रयासों में तेजी लाई जानी चाहिए।

एसबीएम(जी) समीक्षा बैठक, अप्रैल 2026.

श्री वी. सोमन्ना
माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री की कलम से

हम खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) चरण से ओडीएफ प्लस की ओर अग्रसर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आरम्भ किया गया स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जन आंदोलन अब ठोस, तरल एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के साथ स्वच्छता के एक समग्र दृष्टिकोण के रूप में विकसित हो रहा है। हमारा संकल्प ग्रामीण समुदायों को अपने गाँवों को स्थाई रूप से स्वच्छ और हरित बनाए रखने के लिए सशक्त बनाना है।

एसबीएम(जी) समीक्षा बैठक, जनवरी 2026.

श्री अशोक के. के. मीना
सचिव की कलम से

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II के अंतिम वर्ष में प्रवेश करते हुए हमारा प्रमुख लक्ष्य शेष सभी ग्रामों को ओडीएफ प्लस (मॉडल) की श्रेणी में लाना तथा उनके सत्यापन की प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूर्ण करना है। 31 मार्च 2026 तक देश के 5 लाख से अधिक गाँव स्वयं को ओडीएफ प्लस (मॉडल) घोषित कर चुके हैं। साथ ही, ग्रे-वाटर प्रबंधन में 93 प्रतिशत से अधिक तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में 90 प्रतिशत से अधिक की कवरेज प्राप्त की जा चुकी है। अब हमें दृश्य स्वच्छता सुनिश्चित करने, ग्राम पंचायतों को और अधिक सशक्त बनाने तथा ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित उपलब्धियों को स्थायी बनाए रखने के लिए सभी परिसंपत्तियों के संचालन एवं रखरखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्थायी परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें।

नेशनल स्कीम सैंकशनिंग कमेटी (NSSC) की बैठक, 7 अप्रैल 2026.

श्रीमती ऐश्वर्या सिंह
संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक

वित्त वर्ष 2026–27, जो कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II का अंतिम वर्ष है, में हमारा मुख्य ध्यान दिशा-निर्देशों के अनुसार शेष गाँवों को ओडीएफ प्लस (मॉडल) गाँव के रूप में घोषित करने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने, लंबित सत्यापनों की प्रक्रिया को पूरा करने और कार्यक्रम के विविध घटकों के अंतर्गत शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने पर होना चाहिए। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा हमारे गाँवों में फीकल स्लज प्रबंधन (एफएसएम) मानकों का अनुपालन और सुदृढ़ बनाने को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही, 'सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2026' और इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना भी एक ऐसा विषय है जिस पर सभी हितधारकों के ध्यान को आकर्षित करने की आवश्यकता है । कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों की दीर्घकालिक उपयोगिता एवं स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए सेल्फ-सस्टेनबल और वित्तीय रूप से व्यावहारिक रखरखाव की व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। इससे परिसंपत्तियों का प्रभावी रखरखाव सुनिश्चित होगा और ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित उपलब्धियाँ को स्थाई रूप से सुनिश्चित किया जा सकेगा।

नेशनल स्कीम सैंकशनिंग कमेटी (NSSC) की बैठक, 7 अप्रैल 2026.

क. कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियाँ

महीने के अंत में किया गया अवलोकन

30 अप्रैल, 2026 तक की प्रगति

ODF PLUS MODEL

- ओडीएफ प्लस (मॉडल) घोषित ग्रामों की संख्या: **5.02 लाख** से अधिक
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था वाले ग्रामों की संख्या: **5.32 लाख** से अधिक
- ग्रे-वाटर प्रबंधन की व्यवस्था वाले ग्रामों की संख्या: **5.51 लाख** से अधिक
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों से युक्त विकासखंडों की संख्या: **5,450**
- गोबरधन योजना के अंतर्गत: योजना के शुभारंभ से अब तक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत **1,145** सामुदायिक/क्लस्टर स्तर के बायोगैस संयंत्रों का निर्माण किया जा चुका है।

श्री अशोक के. के. मीना, सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, ने नई दिल्ली में आयोजित पंचायत विकास योजना संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया।

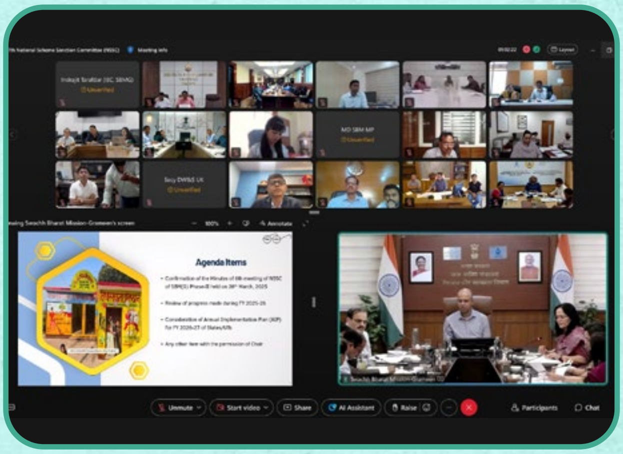

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II के अंतर्गत आयोजित नेशनल स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी (NSSC) की सातवीं बैठक की झलकियाँ। वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्यान्वयन योजनाओं पर विचार एवं अनुमोदन हेतु ये बैठक आयोजित की गई।

स्वच्छता पखवाड़ा 2026 कैलेंडर के अनुसार अप्रैल माह में सहभागिता करने वाले मंत्रालय/विभाग

i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
ii) विधि एवं न्याय मंत्रालय

i. Ministry of Health and Family Welfare
Department of Health & Family Welfare
Department of Health Research

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
सत्यमेव जयते

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

- एम्स भोपाल ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया तथा पखवाड़े के 15वें दिन समीक्षा एवं समापन समारोह का आयोजन किया।
- एम्स ऋषिकेश के केंद्रीय नसबंदी आपूर्ति विभाग (CSSD) द्वारा नसबंदीकृत उपकरणों की सुरक्षित आपूर्ति एवं वितरण विषय पर गतिविधि आयोजित की गई। साथ ही, मेडिकल भवन के कार एवं साइकिल पार्किंग क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया।
- एम्स रायपुर ने स्वच्छता पखवाड़ा 2026 का समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ किया।
- वी.पी. चेस्ट इंस्टीट्यूट (VPCI), दिल्ली में स्वच्छता कर्मियों, माली एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया।
- एम्स जोधपुर में समापन समारोह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।
- एम्स पटना द्वारा स्वच्छता रैली, अपशिष्ट से कलाकृति (वेस्ट-टू-आर्ट) प्रतियोगिता तथा स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु अन्य गतिविधियों का आयोजन किया गया।
- पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में अस्पताल के विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।
- वीएमएमसी एवं सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में समापन समारोह आयोजित कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मान एवं पुरस्कार प्रदान किए गए।
- JIPMER, पुडुचेरी में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया तथा वार्डों, बाह्य रोगी विभागों (OPD) एवं गहन चिकित्सा इकाइयों (ICU) में विशेष स्वच्छता अभियान चलाए गए।
- एम्स बिलासपुर ने 15 अप्रैल 2026 को पुरस्कार वितरण समारोह एवं श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के साझा करने के साथ स्वच्छता पखवाड़े का समापन किया।
- एमबीबीएस विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा विषय पर भित्ति चित्र (वॉल पेंटिंग) बनाए गए।
- मंगलागिरि के इको पार्क में जनभागीदारी के साथ स्वच्छता जागरूकता सत्र आयोजित किया गया।
- सीएसएसडी अधिकारी द्वारा आउटसोर्स मानव संसाधन की कार्यक्षमता सुदृढ़ करने हेतु क्षमता-वर्धन प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- एम्स नागपुर में हाउसकीपिंग कर्मचारियों के सहयोग से सभागार एवं निकटवर्ती शैक्षणिक क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया गया।
- ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, एम्स (पीएचसी नुटक्की) द्वारा गोडावुरु आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों, कर्मचारियों एवं अभिभावकों के लिए स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया गया।
- सामुदायिक चिकित्सा एवं परिवार चिकित्सा विभाग द्वारा कल्याणी स्थित एक जनजातीय विद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा गतिविधियों का आयोजन किया गया।

ख - स्वच्छता पखवाड़ा : अप्रैल 2026

स्वच्छता पखवाड़े की प्रमुख स्थलीय गतिविधियाँ

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय:
एम्स भोपाल में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया तथा इसके अंतर्गत समीक्षा एवं समापन समारोह आयोजित किया गया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय:
पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में अस्पताल के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने हेतु सम्मान समारोह आयोजित किए गए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय:
मंगलागिरि स्थित इको पार्क में जनसहभागिता के साथ स्वच्छता जागरूकता सत्रों का आयोजन किया गया।

ख - स्वच्छता पखवाड़ा : अप्रैल 2026

ii. विधि एवं न्याय मंत्रालय

- विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने 14.04.2026 को श्रमदान कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
- विभाग के कर्मचारियों को खादी के थैले वितरित किए गए, जिससे कि उनके उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके।
- श्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली के जनपथ स्थित विंडसर प्लेस राउंडअबाउट, एनडीएमसी पार्क में वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व भी किया।
- शास्त्री भवन तथा कर्तव्य भवन-2 में सेल्फी बूथ स्थापित किए गए।
- कर्तव्य भवन-2 में स्वच्छता विषयक चित्रकलाएँ प्रदर्शित की गईं।
- विधि कार्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य हस्ताक्षर अभियान आयोजित किए गए।
- सामूहिक स्वच्छता शपथ एवं स्वच्छ भारत गीत का आयोजन किया गया। साथ ही, हस्ताक्षर अभियान, स्वच्छता रंगोली तथा सेल्फी बूथ गतिविधियों का भी आयोजन किया गया।

स्वच्छता पखवाड़े की प्रमुख स्थलीय गतिविधियाँ

विधि एवं न्याय मंत्रालय:
श्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली स्थित एनडीएमसी पार्क में वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व किया।

विधि एवं न्याय मंत्रालय:
विधि कार्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच स्वच्छता संबंधी हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया।

खादी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कर्मचारियों को खादी बैग वितरित किए गए।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम(जी)] फेज़ - II के अंतर्गत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्यान्वयन योजनाओं पर नेशनल स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी द्वारा विचार

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II के अंतर्गत नेशनल स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी (NSSC) की सातवीं बैठक 7 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्यान्वयन योजनाओं (AIPs) की समीक्षा एवं अनुमोदन करना था। बैठक की अध्यक्षता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) के सचिव श्री अशोक के. के. मीना ने की। इस अवसर पर मिशन के अंतर्गत अब तक हुई उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला गया। बताया गया कि 5 लाख से अधिक ग्राम ओडीएफ प्लस (मॉडल) घोषित किए जा चुके हैं, जबकि 93 प्रतिशत से अधिक ग्राम ग्रे-वाटर प्रबंधन तथा 90 प्रतिशत से अधिक ग्राम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से कवर हो चुके हैं। चूंकि यह चरण-II का अंतिम वर्ष है, इसलिए बैठक में शेष सभी ग्रामों को मिशन के विभिन्न घटकों के अंतर्गत कवर करने, दृश्य स्वच्छता सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण स्तर पर प्राप्त स्वच्छता उपलब्धियों को स्थायी बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया।

समिति ने ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने तथा मिशन के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों के संचालन एवं रखरखाव (O&M) को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, एसबीएम(जी), श्रीमती ऐश्वर्या सिंह ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। इनमें ओडीएफ प्लस सत्यापन प्रक्रियाओं को पूर्ण करना, फीकल स्लज प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना, अपशिष्ट प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना, नवगठित परिवारों का समावेशन सुनिश्चित करना तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना शामिल है। बैठक का समापन सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्यान्वयन योजनाओं के अनुमोदन के साथ हुआ। साथ ही, मिशन के चरण-II के समापन की ओर बढ़ते हुए कार्यान्वयन में तेजी लाने, डेटा मैनेजमेंट प्रणालियों को सुदृढ़ करने तथा कार्यक्रम के दीर्घकालिक प्रभाव को सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया।

ग. कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ

ii. पोषण पखवाड़ा में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सहभागिता

जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) द्वारा 9 से 23 अप्रैल 2026 तक आयोजित पोषण पखवाड़ा के आठवें संस्करण को सक्रिय सहयोग प्रदान किया जा रहा है। यह अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) के नेतृत्व में संचालित किया जा रहा है, जिसका मुख्य विषय "जीवन के प्रथम छह वर्षों में मस्तिष्क के अधिकतम विकास को सुनिश्चित करना" है। अभियान का उद्देश्य परिवारों एवं समुदायों में प्रारंभिक बाल देखभाल एवं पोषण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि उनकी गतिविधियाँ अभियान के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप हों तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [SB-M(G)] एवं जल जीवन मिशन (JJM) के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों के साथ अभिसरण सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों को एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS), स्वास्थ्य विभागों तथा पंचायती राज संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक जागरूकता के प्रमुख माध्यम के रूप में उपयोग करने की सलाह दी गई है।

विभाग ने बेहतर पोषण परिणामों के लिए सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वच्छता (हाइजीन) की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष बल दिया है। यह अभियान 'सुजलाम भारत' की अवधारणा के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, जिसमें वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन (WASH) को प्रारंभिक बाल विकास से जोड़ा गया है।

इस अभियान के अंतर्गत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है -

- आंगनवाड़ी केंद्रों में सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं को सुदृढ़ करना।
- हाथों की स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल के उपयोग तथा शौचालयों के नियमित उपयोग को बढ़ावा देना।
- WASH विषयक सामुदायिक जागरूकता एवं जनसहभागिता कार्यक्रम आयोजित करना।
- प्रचार-प्रसार तथा गतिविधियों के दस्तावेजीकरण हेतु आईईसी एवं सोशल मीडिया मंचों का उपयोग करना।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का संचार अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा साझा किए गए दिशा-निर्देशों पर आधारित है, जिसमें मातृ एवं शिशु पोषण, प्रारंभिक बाल विकास, खेल आधारित अधिगम, स्क्रीन समय में कमी तथा सामुदायिक सहभागिता जैसे प्रमुख विषयों को प्राथमिकता दी गई है।

iii. राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026: स्वच्छता, पेयजल एवं स्वच्छता व्यवहार (WASH) परिणामों को सुदृढ़ बनाने में पंचायतों की भूमिका

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) ने 24 अप्रैल 2026 को आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (NPRD) के अवसर पर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह पहल पंचायती राज मंत्रालय के आह्वान के अनुरूप है, जिसके तहत राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को जमीनी स्तर पर सुशासन एवं कम्युनिटी-आधारित विकास में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने के एक मंच के रूप में देखा जाता है।

इसी क्रम में, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [SBM(G)] तथा जल जीवन मिशन (JJM) के अंतर्गत अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति एवं उनकी निरन्तरता बनाए रखने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष बल दिया है। स्थानीय संस्थाएं अंतिम छोर तक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं।

राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे इस अवसर का उपयोग ग्राम पंचायत स्तर पर WASH संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए करें। इसके अंतर्गत ग्राम सभाओं में पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वच्छता से जुड़े विषयों पर चर्चा, उपलब्धियों को बनाए रखने हेतु सामूहिक संकल्प तथा ओडीएफ प्लस (मॉडल) एवं हर घर जल जैसे प्रमाणनों पर विचार-विमर्श शामिल है।

दिशा-निर्देशों में समुदाय आधारित स्वच्छता एवं रखरखाव गतिविधियों को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया गया है, जिससे व्यवहार परिवर्तन को सुदृढ़ करने तथा सामुदायिक परिसंपत्तियों के प्रति स्वामित्व की भावना विकसित करने में सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की गतिविधियों को WASH संबंधी प्राथमिकताओं के साथ जोड़ते हुए, इस पहल का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से संस्थागत प्रक्रियाओं को मजबूत करना तथा ग्राम स्तर पर स्वच्छता एवं पेयजल संबंधी उपलब्धियों की स्थिरता सुनिश्चित करना है।

i. छत्तीसगढ़ : ग्रामीण विकास कार्यों में प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग

जिले में प्लास्टिक अपशिष्ट से बनी पहली सड़क, पर्यावरण संरक्षण की ऐतिहासिक पहल

अपशिष्ट को डामर के साथ मिश्रित कर सड़क निर्माण में किया गया उपयोग

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत महासमुंद तथा मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जैसे जिलों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग किया जा रहा है। एमसीबी जिले में लोक निर्माण विभाग (PWD) सड़क से मेंद्राडोल तक, भरारीडांड होते हुए 2 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण चंवरीडांड प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई से प्राप्त प्लास्टिक का उपयोग कर किया गया है। इस प्रक्रिया में प्लास्टिक अपशिष्ट को एकत्रित कर उसका पृथक्करण, सफाई एवं कतरण (श्रेडिंग) किया जाता है तथा बाद में उसे डामर (अस्फाल्ट) के साथ मिश्रित किया जाता है। इससे सड़कों की आयु 4-5 वर्षों से बढ़कर 6-7 वर्ष तक हो जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 5.49 किलोमीटर लंबाई की तीन सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक मिश्रण का उपयोग किया गया। इस पहल को आगे और व्यापक स्तर पर लागू करने की योजना है। यह मॉडल अपशिष्ट को संसाधन में परिवर्तित करने का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। एमसीबी जिले में 2,600 किलोग्राम कतरन किया हुआ प्लास्टिक लोक निर्माण विभाग को विक्रय किया गया, जिससे 65,000 रुपये की आय प्राप्त हुई। साथ ही, सड़क निर्माण लागत में लगभग 30,000 रुपये प्रति किलोमीटर की कमी भी दर्ज की गई।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत ग्राम स्तर पर स्थापित व्यवस्थाओं के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया जा रहा है, जिसका संचालन स्वच्छाग्रहियों द्वारा किया जाता है। इससे अपशिष्ट प्रबंधन के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। महासमुंद जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 14 सड़कों (21 किलोमीटर) के निर्माण में प्लास्टिक मिश्रण का उपयोग किया गया। आगामी चरण में इसे बढ़ाकर 44 सड़कों (लगभग 100 किलोमीटर) तक विस्तारित करने की योजना है। यह राज्य के जिलों के बीच तथा स्वच्छता और बुनियादी ढांचे के बीच समन्वय, ओडीएफ प्लस (मॉडल) के परिणामों को स्थायी बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दर्शाता है कि ग्राम स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियां केवल कचरे के संग्रहण और निपटान तक सीमित न रहकर, संसाधनों की पुनर्प्राप्ति (रिकवरी) और पुनः उपयोग (रीयूज़) की दिशा में भी आगे बढ़ सकती हैं।

ii. कर्नाटक में 'स्वच्छ शनिवार' के अंतर्गत स्वच्छता अभियान

कर्नाटक में पारंपरिक जल संरचनाओं, जिन्हें कल्याणी कहा जाता है, की नियमित सफाई स्थानीय स्तर पर एक निरंतर गतिविधि के रूप में की जा रही है।

कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले, जिसमें 157 ग्राम पंचायतें शामिल हैं, को सूखा-प्रवण क्षेत्र माना जाता है और यहां अक्सर जल संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। इस चुनौती से निपटने के लिए जिले में 'कल्याणी स्वच्छता आंदोलन' संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समुदाय एवं स्थानीय अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी से श्रमदान के माध्यम से कल्याणियों की सफाई की जाती है।

इस अभियान का नेतृत्व जिला एवं तालुक स्तर के अधिकारी करते हैं। इसमें ग्राम पंचायतों की टीमों, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों तथा अन्य स्थानीय कार्यकर्ताओं की सक्रिय सहभागिता रहती है।

यह केवल एक बार आयोजित होने वाली गतिविधि नहीं है। पिछले दो वर्षों से राज्यभर में प्रत्येक सप्ताह 'स्वच्छ शनिवार' के अंतर्गत कल्याणियों तथा अन्य सार्वजनिक एवं सामुदायिक स्थलों की नियमित सफाई की जा रही है।

यह पहल जल जीवन मिशन (JJM), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [SBM(G)] और मनरेगा के समन्वय से लागू की जा रही है, जो स्वच्छता, जल संरक्षण और जल स्रोतों की दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा देती है। इन पारंपरिक जल संरचनाओं की सफाई और नियमित देखभाल से जल उपलब्धता में सुधार होता है, भूजल स्तर के पुनर्भरण में सहायता मिलती है तथा आसपास के क्षेत्रों में बेहतर स्वच्छता सुनिश्चित होती है।

यह पहल दर्शाती है कि सामुदायिक सहभागिता तथा विभागों के बीच एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से स्थानीय जल स्रोतों का संरक्षण करते हुए स्वच्छता संबंधी उपलब्धियों को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

iii. असम में स्वयं सहायता समूह आधारित जैव-अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल

असम के गोलपाड़ा जिले के कुचधोवा विकासखंड अंतर्गत दमरा ग्राम पंचायत के निशांग्राम गांव में ओडीएफ प्लस (मॉडल) ग्राम के रूप में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वयं सहायता समूह (SHG) आधारित एक प्रभावी मॉडल अपनाया गया है।

गांव में 'डंडालमा' स्वयं सहायता समूह द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत घर-घर से पृथक किए गए गीले एवं सूखे अपशिष्ट का संग्रहण किया जाता है। यह मॉडल स्थानीय सहभागिता एवं सामुदायिक स्वामित्व पर आधारित है, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ग्राम स्तर पर इसकी अगुवाई कर रही हैं।

इस पहल के माध्यम से उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर चार्ज) आधारित एक स्थायी व्यवस्था विकसित की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार द्वारा 10 से 20 रुपये प्रति माह तथा दुकानों द्वारा 50 रुपये प्रति माह का योगदान दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, गीले अपशिष्ट से तैयार कम्पोस्ट खाद को 5 रुपये प्रति किलोग्राम तथा सूखे रिसाइकिल योग्य अपशिष्ट को 15 से 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से रिसाइकलर्स को विक्रय किया जाता है। इससे आय का एक नियमित स्रोत विकसित हुआ है।

नवंबर 2024 से अब तक इस पहल के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लगभग 75,000 से 80,000 रुपये की आय प्राप्त हुई है। इस प्रकार यह मॉडल न केवल प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका को बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम भी बन रहा है।

iv. उत्तर प्रदेश में सामुदायिक स्तर पर ग्रे-वाटर प्रबंधन प्रणाली

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के गोण्डा विकासखंड अंतर्गत टेलसर ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [SBM(G)], पंद्रहवें वित्त आयोग (FFC) तथा मनरेगा के आपसी सहयोग से सामुदायिक स्तर पर ग्रे-वाटर प्रबंधन (GWM) प्रणाली विकसित की गई है।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य गांव की नालियों से निकलने वाले ग्रे-वाटर का उपचार कर उसे सामुदायिक तालाब में प्रवाहित किए जाने से पूर्व स्वच्छ बनाना है। इसके लिए हॉरिजॉन्टल प्लांटेड बेड रिएक्टर, फिल्टर चैम्बर तथा निर्मित आर्द्रभूमि (कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड) जैसी संरचनाएं विकसित की गई हैं, जिनके माध्यम से नालियों से प्रवाहित अपशिष्ट जल का उपचार किया जाता है।

इस प्रणाली से उपचारित ग्रे-वाटर को सुरक्षित रूप से सामुदायिक तालाब में प्रवाहित किया जाता है, जिससे सतही जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्भरण में सहायता मिलती है। साथ ही, इससे तालाब का रखरखाव बेहतर हुआ है तथा उसका उपयोग सामुदायिक एवं मनोरंजन संबंधी गतिविधियों के लिए भी किया जा रहा है।

नाली स्तर पर ही अपशिष्ट जल का प्रबंधन किए जाने से गांव में जलभराव एवं गंदे पानी के ठहराव की समस्या में कमी आई है, जिससे दृश्य स्वच्छता को बढ़ावा मिला है तथा आसपास का वातावरण अधिक स्वच्छ बना है।

यह पहल सामुदायिक स्तर पर अभिसरण आधारित अपशिष्ट जल प्रबंधन का एक प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत करती है। समान प्रकार की जल निकासी व्यवस्था वाले अन्य ग्राम पंचायतों द्वारा भी इस मॉडल को अपनाकर ग्रे-वाटर प्रबंधन एवं स्वच्छता संबंधी परिणामों को और सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

v. ओडिशा में ट्रांसजेंडर स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित फीकल स्लज प्रबंधन मॉडल

ओडिशा ने खुर्दा जिले के बसुआघाई फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) में ट्रांसजेंडर समुदाय के नेतृत्व वाला फीकल स्लज प्रबंधन (FSM) मॉडल अपनाया है। यह पहल ट्रांसजेंडर स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से संचालित की जा रही है, जो राज्य के 10 फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांटों के संचालन एवं प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

बसुआघाई एफएसटीपी से प्रारंभ हुआ यह मॉडल 'गरिमा' पहल (GARIMA) पर आधारित है, जिसके अंतर्गत स्वच्छता कर्मियों के व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (PPE) की उपलब्धता, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा बीमा कवरेज सुनिश्चित किए जाते हैं।

यह मॉडल स्वच्छता सेवाओं के प्रदाय में गरिमा, समावेशन एवं स्थिरता को प्राथमिकता देता है। इसके माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध होने के साथ-साथ सम्मानजनक एवं स्थायी आजीविका के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं।

साथ ही, यह पहल फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांटों के लिए संचालन एवं रखरखाव (O&M) की विश्वसनीय व्यवस्था स्थापित करने में भी सहायक सिद्ध हुई है। ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय भागीदारी से स्वच्छता सेवाओं के प्रबंधन में समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला है।

यह कनवरजेंस आधारित मॉडल फीकल स्लज प्रबंधन के क्षेत्र में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए सेवाओं की निरंतर उपलब्धता तथा संस्थागत सहयोग को सुदृढ़ बनाता है।

vi. त्रिपुरा में जागरूकता सृजन हेतु स्वच्छता शुभंकर (मास्कॉट)

त्रिपुरा के खोवाई जिले में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति सामुदायिक सहभागिता को सुदृढ़ करने के लिए स्वच्छता शुभंकर (मास्कॉट) बनाया गया है।

इस पहल का केंद्र "निर्मल मोती" नामक आधिकारिक स्वच्छता शुभंकर है, जिसकी प्रेरणा खोवाई के प्रसिद्ध हाथी 'मोती' से ली गई है। यह शुभंकर स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण तथा उत्तरदायी अपशिष्ट प्रबंधन का प्रतीक है और स्थानीय समुदायों से सहज रूप से जुड़ने का प्रभावी माध्यम बन गया है।

इस पहल के माध्यम से 'निर्मल मोती' का उपयोग विशेष रूप से बच्चों एवं युवाओं के बीच स्वच्छता संबंधी संदेशों को सरल और रोचक तरीके से पहुँचाने के लिए किया जा रहा है। शुभंकर के माध्यम से स्वच्छता से जुड़े महत्वपूर्ण व्यवहारों एवं आदतों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

'निर्मल मोती' गांवों में आयोजित स्वच्छता अभियानों, रैलियों तथा विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इसके माध्यम से स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ समुदाय में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को भी प्रोत्साहन मिल रहा है।

vii. गुजरात में बैलून आधारित बायोगैस मॉडल

Anand District

Kheda District

गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) तथा गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (GCMMF) के तकनीकी मार्गदर्शन में गोबरधन (GOBARdhan) योजना के अंतर्गत बैलून प्रकार के बायोगैस संयंत्रों का मॉडल लागू किया गया है। यह मॉडल परिवार स्तर पर स्थापित किए जाने वाले बैलून प्रकार गोबरधन बायोगैस संयंत्रों पर आधारित है।

राज्य में प्रतिदिन 2 घन मीटर क्षमता वाले कुल 6,600 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें एनडीडीबी द्वारा 5,000, अमूल द्वारा 600, साबर डेयरी द्वारा 400, दूधसागर डेयरी द्वारा 400 तथा बनास डेयरी द्वारा 200 संयंत्रों की स्थापना में योगदान दिया गया है।

इस पहल का क्रियान्वयन क्लस्टर आधारित मॉडल के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें लगभग 200 लाभार्थियों अथवा परिवारों को एक क्लस्टर के रूप में शामिल किया जाता है। प्रत्येक परिवार स्तर का संयंत्र प्रतिदिन 2 घन मीटर बायोगैस उत्पादन करने में सक्षम है।

वर्तमान में यह मॉडल राज्य के सभी 33 जिलों में लागू किया जा रहा है। यह व्यवस्था विकेन्द्रीकृत पारिवारिक संरचना को क्लस्टर आधारित कार्यान्वयन से जोड़ती है तथा पशु अपशिष्ट (गोबर) के स्रोत पर ही प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करती है।

viii. कर्नाटक में क्लस्टर आधारित ग्रामीण एफएसटीपी मॉडल

कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के बेल्थंगडी विकासखंड अंतर्गत उजरे ग्राम पंचायत में फीकल स्लज प्रबंधन (FSM) के लिए क्लस्टर आधारित ग्रामीण फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) मॉडल विकसित किया गया है। यह मॉडल फीकल स्लज प्रबंधन की संपूर्ण श्रृंखला में एक स्थायी एवं प्रभावी व्यवस्था स्थापित करने पर केंद्रित है।

इस मॉडल में प्लांटेड ड्राइंग बेड प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रकृति-अनुकूल (Nature-based) एफएसटीपी का उपयोग किया गया है। यह तकनीक प्राकृतिक रूप से फिल्ट्रेशन एवं सुखाने की प्रक्रिया के माध्यम से फीकल स्लज का उपचार करती है तथा इसमें ऊर्जा एवं संचालन एवं रखरखाव (O&M) की अपेक्षाकृत कम आवश्यकता होती है।

एफएसटीपी की स्थापना के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत 82.41 लाख रुपये का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त, सक्शन वाहन की व्यवस्था हेतु तालुक एवं ग्राम पंचायत निधियों का भी उपयोग किया गया है।

इस प्रणाली के सुचारु संचालन एवं सेवा प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाएँ विकसित की गई हैं। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति द्वारा एफएसटीपी के संचालन की नियमित समीक्षा की जाती है तथा आवश्यकतानुसार दंडात्मक प्रावधानों को भी लागू किया जाता है।

सर्विस रिक्वेस्ट के त्वरित समाधान हेतु एक विशेष मोबाइल नंबर एवं कॉल सेंटर स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से मल-कीचड़ निकासी (डी-स्लजिंग) सेवाओं के लिए अनुरोध प्राप्त किए जाते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर सेवाओं की उपलब्धता और तत्परता सुनिश्चित होती है।

डी-स्लजिंग सेवाओं के शुल्क को विनियमित किया गया है तथा इसे निजी सेवा प्रदाताओं की तुलना में कम रखा गया है। 10 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 2,775 रुपये तथा 10 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 3,500 रुपये निर्धारित किए गए हैं।

यह मॉडल उपचारित फीकल स्लज के उपयोग को भी प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय किसानों को इसके उत्पादक उपयोग के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार यह पहल अपशिष्ट प्रबंधन को संसाधन के पुनः उपयोग से जोड़ते हुए, स्वच्छता एवं सतत ग्रामीण विकास के उद्देश्यों को सुदृढ़ करती है।

स्वच्छता को समझें

नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करें

R E L Y C E C ....

T I U M B E N ....

I I E R C A N T R N O ....

S E R N G O G E T A I ....

G R E Y W T A E R ....

C O S T P O M ....

S A I A N T O T I N ....

H N E G E I Y ....

S K O P I T A ....

L C E A H P T I ....

ANSWERS:

01 RECYCLE
02 BITUMEN
03 INCINERATOR
04 SEGREGATION
05 GREYWATER
06 COMPOST
07 SANITATION
08 HYGIENE
09 SOAK PIT
10 LEACH PIT

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छता समाचार के अगले अंक में योगदान करने के लिए,
हर महीने की 15 तारीख से पहले अपने विचार साझा करें sbmiec.ddws@gmail.com

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA
सत्यमेव जयते

विशेष सचिव का कार्यालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार।

चौथी मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, CGO कॉम्प्लेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
फ़ोन: 011-24362192 | ईमेल: js-sbm@gov.in